(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1963–दो / 2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–07–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भागं, रीवा प्रकरण क्रमांक–18 / निग0 / 1995–96

....

श्री उमाशंकर त्रिपाठी तनय गैवी प्रसाद
निवासी–ग्राम बराव तह0 हनुमान, जिला–रीवा

––––––आवेदक

विरूद्ध

1– रामायण प्रसाद तनय नर्वदा प्रसाद
निवासी–ग्राम बराव तह0 हनुमान, जिला–रीवा

2– मथुरा प्रसाद तनय रामकिशोर
निवासी–ग्राम बराव तह0 हनुमान, जिला–रीवा

3– मिथिला प्रसाद तनय रामकिशोर
निवासी–ग्राम बराव तह0 हनुमान, जिला–रीवा

––––––अनावेदकगण

....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 18 / निग0 / 1995–96 में पारित आदेश दिनांक 06–07–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक उमाशंकर त्रिपाठी के पिता गैव प्रसाद ने दिनांक 22.03.93 को ग्राम बरांव की विवादित भूमि सर्वे नं0 2440/3 रकबा 0.60 ए0 के सीमांकन एवं नक्शा तरमीम हेतु आवेदन-पत्र मय संहिता की धारा 129 के तहत तहसीलदार सर्किल पहाड़ी, तहसील हनुमान, रीवा के न्यायालय में पेश किया, जिसमें प्र0क्र0 90/अ-12/93-94 दर्ज किया जाकर दिनांक 21.12.94 को आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील अपर कलेक्टर, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर ने दिनांक 30.09.95 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.94 को निरस्त करते हुये, प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सरहदी एवं सहखातेदारों को विधिवत सूचना देते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित सीमांकन पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जावे । अपर कलेक्टर रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर आयुक्त न्यायालय प्रकरण क्रमांक 18/निग0/1995-96 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 06.07.2002 को आदेश पारित अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.95 स्थिर रखते हुये प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दिया गया । अपर आयुक्त रीवा के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष सीमांकन एवं नक्शा तरमीम कराने का आवेदन-पत्र संहिता की धारा 129 के तहत प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सारहीन मानकर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को गुण-दोषों के आधार पर आदेश पारित किया जाना चाहिये था, किन्तु तकनीकि आधार पर आवेदक के द्वारा दायर निगरानी को निरस्त किया है । सीमांकन के समय सरहदी काश्तकार मिथिला प्रसाद अनावेदक क्र0 3 उपस्थित था, तथा उसने अपने हस्ता0 स्थल पंचनामें में किये थे, तथा अनावेदक रामायण प्रसाद ने हस्ता0 करने से इंकार कर दिया था, लिहाजा यह मान कर कि सीमांकन पूर्व अनावेदकों को सूचना नहीं थी, सर्वथा गलत है । यहॉं पर यह बात

उल्लेखनीय है कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा सीमांकन प्रकरण में की गई आपत्ति को भी इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि उसे सीमांकन की जानकारी थी । उन्होंने तर्क में यह भी कहा कि सूचना व समन की तामिली की कथित अनियमितता व कानून के कठोर नि मों का पालन न करने मात्र से पक्षकार को सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, जब पक्षकार स्वतः सीमांकन के समय उपस्थित थे तो महज तामीली की अनियमितता के आधार पर यह मान्य नहीं किया जा सकता की पक्षकार के साथ अन्याय हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित निगरानी के निराकरण के पूर्व ही आवेदक के पिता गैवी प्रसाद की मृत्यु हो गई, जिसके विधिक वारिसान आवेदक द्वारा आदेश 22 नियम 3 जा0दीवानी का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पत्र का निराकरण किये बगैर मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है । अतः अधीनस्थ न्यायलय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक उमाशंकर के पिता गैवा प्रसाद द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सीमांकन एवं नक्शा तरमीम कराने का आवेदन-पत्र संहिता की धारा 129 के तहत प्रस्तुत किया गया था । यद्यपि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक का सीमांकन- (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू-खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। इस संबंध में 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है- "म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 129- समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित। इसी प्रकार 1998 आर एन 106

(उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।" स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं – "म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।" 1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों / हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 के नियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– " भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता– ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना। 2014 आर. एन. 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ-साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

6/ अतः उक्त प्रावधान के परिपालन में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2002 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सरहदी एवं सहखातेदारों को विधिवत सूचना देते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित सीमांकन पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,